रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2007/वैशाख 7, 1929 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 23
No. 76] DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2007/VAISAKHA 7, 1929 [N.C.T.D. No. 23

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग
(राज्य परिवहन प्राधिकरण)
अधिसूचना

दिल्ली, 27 अप्रैल, 2007

सं. फा.63/एसटीए/डीटीसी सेल/2007/64.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त धारा की उप-धारा (1) के खंड (क), (ख) व (ग) को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली को निर्देश देते हैं कि चाँदनी चौक क्षेत्र में चाँदनी चौक और फव्वारा मार्गों पर सी.एन.जी. चालित स्टेज कैरिज मिनी बसें चलाने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा चुने गए ऑपरेटर द्वारा वसूल किए जाने वाला भाड़ा पांच रुपये प्रति यात्री प्रति फेरा प्रति मार्ग से अधिक नहीं होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. चन्द्र मोहन, प्रधान सचिव-एवं-आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT
(STATE TRANSPORT AUTHORITY)
NOTIFICATION

Delhi, the 27th April, 2007

No. F. 63/STA/DTC Cell/2007/64.—In the exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, having regard to clause (a), (b) and (c) of sub-section (1) of the said section, hereby, issues directions to the State Transport Authority of Delhi that the fare chargeable by the operator selected by State Transport Authority of Delhi to

operate CNG propelled stage carriage Mini Buses on Chandni Chowk and Fountain routes in Chandni Chowk area shall not exceed rupees five per passenger per trip per route.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

R. CHANDRA MOHAN, Pr. Secy-cum-Commissioner (Transport)

वित्त (स्थापना व कर) विभाग

आदेश

दिल्ली, 27 अप्रैल, 2007

सं. फा. 5(6)/वित्त (स्था. व कर)/2007-08/डीएसएफटीई/305.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 की अधिसूचना का.आ. 1726, सं. फा. 2/5/61-न्याय-II के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की धारा 69 द्वारा यथा-संशोधित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 की संख्या 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उप-राज्यपाल निदेश देते हैं कि मैसर्ज पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन, चन्द्र लोक, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001, उन ऋण पत्रों पर रु. 1,68,72,000 (रुपये एक करोड़ अड़सठ लाख बहत्तर हजार केवल) का समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान करेगी, जो 11 दिसम्बर, 2006 को उक्त कंपनी द्वारा जारी कुल 456,00,00,000 रुपये (रुपये चार सौ छप्पन करोड़ केवल) की राशि के 001 से 4560 तक की भिन्न-भिन्न संख्याओं वाले 8.38% प्रतिभूत रहित, प्रतिदेय, न संपरिवर्तनीय, न संचयी ऋण-पत्र (2009) शृंखला सं. XXXI-B के ऋण-पत्र कर योग्य बंध-पत्र के रूप में वर्णित है।

FINANCE (TAXES AND ESTABLISHMENT) DEPARTMENT

ORDERS

Delhi, the 27th April, 2007

No. F. 5(6)/Fin. (T&E)/2007-08/dsfte/305.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) as amended by Section 69 of the Finance Act, 2006 (No. 21 of 2006) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, S.O. 1726, Notification No. F. 2/5/61-Judl. II, dated the 22nd July, 1961 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Chandra Lok, 36, Janpath, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1,68,72,000 (Rupees One Crore Sixty Eight Lakh and Seventy Two Thousand only) on debentures, described as 8.38% Unsecured, Redeemable, Non-Convertible, Non-Cumulative, Taxable Bonds in the nature of Debenture (2009) Series-XXXI-B bearing distinctive Nos. 001 to 4560 aggregating to Rs. 456,00,00,000 (Rupees Four Hundred Fifty Six Crore only) issued by the said Corporation on 11th December, 2006.

सं. फा. 5(11)/वित्त (स्था. व कर)/2007-08/डीएसएफटीई/306.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 की अधिसूचना का.आ. 1726, सं. फा. 2/5/61-न्याय-II के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का संख्या 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के उप-राज्यपाल निर्देश देते हैं कि मैसर्ज न्यूमेरो यूनो क्लाथिंग लि., 7, हेमकुण्ठ कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किये जाने वाले रुपये 5,00,000 रुपये (पांच लाख केवल) मूल्य के शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 50000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 500 (रुपये पांच सौ केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

अजय कुमार गर्ग, उप-सचिव

No. F. 5(11)/Fin. (T&E)/2007-08/dsfte/306.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, S.O. 1726, Notification No. F. 2/5/61-Judl. II, dated the 22nd July, 1961 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs that M/s. Numero Uno Clothing Limited, 7, Hemkunt Colony, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 500 (Rupees Five Hundred only) on value of shares of Rs. 5,00,000 (Rupees Five Lakh only) for share certificates with distinctive Nos. 001 to 50000 to be issued by the said Company.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
AJAY KUMAR GARG, Dy. Secy.

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 27 अप्रैल, 2007

सं. फा. 35(एस-42)/कुशल/प्रशि. प्रशा./2006/348-57.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल :–

(1) इस सरकार के प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा निदेशालय में कुशल कामगार (उन्त व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति) के पदों पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के संबंध में नियम (अनुसूची) बनाते हैं, तथा

(2) दिनांक 5-9-1984 की अधिसूचना सं. 2/23/83-से-2 के अनुसार अधिसूचित इस सरकार के प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा निदेशालय में कुशल कामगार (उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति) के पदों के भर्ती नियम रद्द करते है।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कुशल कामगार (उन्नत व्यवसायिक प्रशिक्षण पद्धति) के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
कुशल कामगार (उन्नत व्यवसायिक प्रशिक्षण पद्धति)	04* (चार) 2006 *इसमें परिवर्तन कार्य-भार पर निर्भर है।	"ग" वर्गीय अराजपत्रित, अलिपिकीय	4500-125-7000 रुपये	लागू नहीं	नहीं	27 वर्ष (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार शिथिलनीय)

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
अनिवार्य : 1. गणित व विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन या समकक्ष 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सम्बद्ध व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र। 3. सम्बद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। **वांछनीय :–** 1. सम्बद्ध व्यवसाय में सीटीआई, अथवा 1. गणित व विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन या समकक्ष 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष।	लागू नहीं	दो वर्ष

8
3. सम्बद्ध क्षेत्र में एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव या सम्बद्ध व्यवसाय में सीटीआई।

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
11	12	13	14
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	ग्रुप "ग" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु)	लागू नहीं

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
मुकेश प्रसाद, संयुक्त सचिव

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 27th April, 2007

No. F. 35(S-42)/Skilled/Trg. Admn./2006/348-57.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59/Him(i) dated the 13th July, 1959, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is please to :

(1) make the rules in the Schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the posts of Skilled Worker (Advance Vocational Training System) in the Directorate of Training and Technical Education of this Government, and

(2) to cancel the recruitment rules for the posts of Skilled Worker (Advance Vocational Training System) in the Directorate of Training and Technical Education of this Government notified vide notification No. F.2(23)/ 83-S.II, dated 5-9-84.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Skilled Worker (Advance Vocational Training System) in the Directorate of Training and Technical Education, Govt. of NCT of Delhi

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rule	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Skilled Worker (Advance Vocational Training System)	04 (Four) (2006) *Subject to variation dependent on work load.	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	N.A.	No	27 years (Relaxation as per orders/instructions issued by Central Govt. from time to time).

Educational and Other Qualifications required for Direct Recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of Probation
8	9	10
Essential : 1. Matriculation or equivalent with Maths and Science. 2. National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate in the trade concerned from recognized Institutions. 3. Three years practical experience in the trade concerned. **Desirable :** 1. C.T.I. in the trade concerned. OR 1. Matriculation or equivalent with Maths & Science. 2. Three years' Diploma in appropriate branch of Engg./Technology from a recognised Institutions or equivalent. 3. One year practical experience in the relevant field. OR C.T.I. in the trade concerned.	N.A.	02 years (Two years)

Method of Recruitment : Whether by direct or by deputation only/ absorption/grades and % of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by promotion/deputation only/ absorption grades for which promotion/deputation/ absorption to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
By Direct Recruitment	N.A.	Group "C" D.P.C. (For confirmation)	N.A.

By Order in the Name of
Lt. Governor of the NCT of Delhi,
MUKESH PRASAD, Jt. Secy.

2257 DG/07-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.